पंजाब नैशनल बैंक | punjab national bank

...the name you can BANK upon!

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद,
द्वितीय तल, **केजे–13, कविनगर, गाजियाबाद – 201001, ई–मेलः** cs8228@pnb.co.in

दिनांक 14.09.2022

श्री विनोद कुमार मखरिया (पाटनर्स और गारंटर)

मैसर्स कल्याणी इंजीनियरिंग वर्क्स, रजि. कार्यालयः 109–110 और 107–107/1, 130ए–130बी, आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट, मोहन नगर, गाजियाबाद और: मकान नं. केसी–90, कवि नगर, गाजियाबाद

श्री किरण मखरिया पत्नी श्री विनोद कुमार मखरिया (पार्टनर और गारंटर), मैसर्स कल्याणी इंजीनियरिंग वर्क्स, रजि. कार्यालयः 109–110 और 107–107/1, 130ए–130बी, आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट, मोहन नगर, गाजियाबाद, और: मकान नं. केसी–90, कवि नगर, गाजियाबाद

विषयः गिरवी रखे मकान नं. केसी–90, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से घरेलू सामान और अन्य गैर–दृष्टिबंधक वस्तुओं को हटाने का नोटिस

यह सूचित किया जाता है कि बैंक ने डीएम, गाजियाबाद, आदेश 256/CRA/SE ACT/SEC-14 **दिनांक 10.04.2017 के अनुसार 30.10.2017 को बंधक रखी गई संपत्ति मकान नं. केसी–90, कवी नगर, गाजियाबाद, यू.पी) का भौतिक कब्जा ले लिया है।**

उक्त बंधक सम्पत्ति में उपरोक्त ऋणी का घरेलू सामान नही हटाया गया जबकि कब्जे की कार्यवाही की पूर्व सूचना दी गयी थी।

इसलिए, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अंचार्ज माल / घरेलू सामान को हटा दें, अन्यथा, इसे कानून के अनुसार लावारिस के रूप में निपटाया जाएगा और इस संबंध में किए गए खर्च/आकस्मिक खर्च आपसे वसूल किए जाएंगे।

दिनांक : 16.09.2022, स्थान : गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक**

VASTU HOUSING FINANCE | वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

इकाई 203 एवं 204, द्वितीय तल, 'ए' विंग, नवभारत एस्टेट,
जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुम्बई 400015.
महाराष्ट्र, सीआईएन : **U65922MH2005PLC272501.**

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार श्री/श्रीमती सतीश सिंह (आवेदक), और श्री/श्रीमती सुनीता (सह आवेदक) से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर माँग सूचना में उल्लिखित राशि 5 अप्रैल, 2022 तक खाता सं. HL0000000028163 में रु. 4692278/– (रुपये छियालीस लाख बानबे हजार दो सौ अठहत्तर मात्र) तथा खाता सं. LP0000000046625 में रु. 311098/– (रुपये तीन लाख ग्यारह हजार अट्ठानबे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 19 अप्रैल, 2022 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ता, जमानती तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 12 सितम्बर, 2022 को भौतिक कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जमानती और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन रु. 4692278/– (रुपये छियालीस लाख बानबे हजार दो सौ अठहत्तर मात्र) तथा रु. 311098/– (रुपये तीन लाख ग्यारह हजार अट्ठानबे मात्र) तथा उस पर ब्याज और लागतों आदि के लिए वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नई दिल्ली शाखा) के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. जी–12/11, गली नं. 5, खसरा नं. 6, ब्रह्मपुरी गाँव घोंडा, चुचन बांगड़, शाहदरा निकट मौनी बाबा, नई दिल्ली–110053

तिथि : 17.09.2022 **अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : नई दिल्ली **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

फॉर्म–ए
सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

ज्वेल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारो के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	ज्वेल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	02.11.2007
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति सम्मावेश/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज- दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/सीमित दायित्व पहचान	U17291HR2007PTC037361
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	प्लॉट नंबर 29 डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- II, फरीदाबाद, हरियाणा- 121003
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि	15.09.2022
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	14.03.2023
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	जगमू राम ठाकुर, पंजी सं. IBBI/IPA-001/IP-P01869/2019-2020/12933
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व ई-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	मन्ता 2037, अजीतकरम सिंह इंटरनेशनल पब्लिक स्मार्ट स्कूल के पास (एकेएसआईपीएसएस), सेक्टर 123, न्यू सनी एन्क्लेव, ग्रेटर मोहाली, पंजाब 140301 ईमेल आईडी: jrthakurvms@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली ईमेल तथा पता, यदि क्रम सं. 9 से अलग है	तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर डी- 190, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज इवी, सेक्टर 74, एसएएस नगर मोहाली 160071, पंजाब ईमेल आईडी: irpjewelgarments@gmail.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	29.09.2022
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन ऋणी की श्रेणी, यदि कोई है	लागू नही
13.	श्रेणी में ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवाला पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध है:	http://ibbi.gov.in/downloadform.html लागू नही

- एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच ने 15.09.2022 को **ज्वेल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड** की कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।
- **ज्वेल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदार को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 29.09.2022 को या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।
- वित्तीय लेनदारो को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारो को अपने दावे व्यक्तिगत, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
- प्रविष्टि नंबर 12 के अंतर्गत सूचीबद्ध अनुसार श्रेणी से संबंधित वित्तीय लेनदारों को फार्म सीए में श्रेणी (एनए) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के अंतर्गत सूचीबद्ध 3 दिवालियापन पेशेवरों से प्राधिकृत प्रतिनिधि की वरीयता को दर्शाना होगा।
- गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

हस्ता/–
जगमू राम ठाकुर, अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर
पंजी सं. IBBI/IPA-001/IP-P01869/2019-2020/12933
तिथि: 16.09.2022 ईमेल आईडी: irpjewelgarments@gmail.com
स्थान: मोहाली पता- तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर डी-190, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज इवी, सेक्टर 74, एसएएस नगर मोहाली 160071, मोबाईल: +919888344644

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

सरोहा प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण के लिए

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट ऋणी का नाम	सरोहा प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणी के निगमन की तिथि	29.10.2012
3.	वह प्राधिकार, जिसके अधीन कार्पोरेट ऋणी निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज - दिल्ली, भारत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत
4.	कार्पोरेट पहचान संख्या/ कार्पोरेट ऋणी का सीमित दायित्व पहचान संख्यांक	U22190DL2012PTC244120
5.	कार्पोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट नं. 2353, सेक्टर-बी, पॉकेट-II, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070
6.	कार्पोरेट ऋणी की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	15.09.2022
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने की प्राक्कलित तिथि	13.03.2023
8.	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	अजित कुमार पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00062/2017-18/10548
9.	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ई-मेल	पंजीकृत पता : 1ए, संस्कृति अपार्टमेंट, जीएच-22, सेक्टर 56, गुरुग्राम, हरियाणा-122011, ई-मेल : cmaajiljha@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और ई-मेल	कार्यालय का पता : सन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स प्रा.लि. 83, नेशनल मीडिया सेंटर, शंकर चौक, निकट एम्बिएंस मॉल/डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम-122002 ई-मेल : drpsaroha@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तारीख	29.09.2022
12.	अन्तरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा अभिनिश्चित धारा 21 की उप-धारा (6क) की खण्ड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हैं	अप्रयोज्य
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के लिए अभिलक्षित दिवाला व्यावसायिकों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सुसंगत प्ररूप और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे यहाँ उपलब्ध हैं :	(क) www.ibbi.gov.in (ख) अप्रयोज्य

यह सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने सरोहा प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।

सरोहा प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के सभी लेनदारों से अन्तरिम समाधान व्यावसायिक को प्रविष्टि सं. 10 के सामने उल्लिखित पते पर 29 सितम्बर, 2022 को अथवा उससे पूर्व सबूत सहित अपने दावे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय लेनदार सबूत सहित अपने दावे केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार सबूत सहित अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के सामने सूचीबद्ध किसी वर्ग का कोई वित्तीय लेनदार प्रविष्टि सं. 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवाला व्यावसायिकों में से उस वर्ग [अप्रयोज्य] के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसन्द प्ररूप गक में उपदर्शित करेगा।

दावे के मिथ्या या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर शास्तियां लागू होंगी।

ह./–
तिथि : 16 सितम्बर, 2022 **अजित कुमार**
स्थान : गुरुग्राम **अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल**
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00062/2017-18/10548

बैंक ऑफ़ बड़ौदा | Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, बी.के. चौक शाखा,
आर–4, गोविंद भवन, एनएच–5, बी.के. चौक,
फरीदाबाद, (हरियाणा)
दूरभाषः 129–2422251, 2412935

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बड़ौदा** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **मैसर्स बज़ाज पेंट हार्डवेयर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स को मांग सूचना दिनांक 12.07.2022 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 16,06,493.69 (रु. सोलह लाख छः हजार चार सौ तिरान्वे और पैसे उनहत्तर मात्र) दिनांक 12.07.2022 तक (दिनांक 09.07.2022 तक ब्याज की गणना) और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत एवं प्रभार भुगतान की तारीख तक** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **15.09.2022** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक/ बंधककर्ता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार वास्ते रू 16,06,493.69 (रु. सोलह लाख छः हजार चार सौ तिरान्वे और पैसे उनहत्तर मात्र) दिनांक 12.07.2022 तक (दिनांक 09.07.2022 तक ब्याज की गणना) और संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत एवं प्रभार भुगतान की तारीख तक के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

व्यवसायिक प्लॉट एससीओ नं. 651 (दुकान नं. 2), बेसमेंट, सैक्टर–बी, ग्रीन फिल्ड कॉलोनी, सरॉय ख्वाज़ा, फरीदाबाद, हरियाणा – 121010 में स्थित, क्षेत्रफल 128 वर्ग फीट, चौहदी : उत्तर में – गलियारा, दक्षिण में – भवन के सामने गलियारे के नीचे की दीवार, पूरब में – अन्य का बेसमेंट स्पेस, पश्चिम में – अन्य का बेसमेंट स्पेस

दिनांक : 15-09-2022, स्थान : फरीदाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

फेडरल बैंक

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

एलसीआरडी नई दिल्ली डिविजन, यू.जी.एफ., फेडरल टॉवर्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, पटेल रोड, नई दिल्ली–110008 फोन नं. 011–40733978, 40733980 ई–मेलः ndllcrd@federalbank.co.in
CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईटः www.federalbank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **दि फेडरल बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 14.07.2022 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता **(1) विवेक कुमार जैन पुत्र धर्मेंद्र कुमार जैन, (2) सोना जैन पत्नी विवेक कुमार जैन, (3) विशाल जैन पुत्र धनेंद्र कुमार जैन, (4) अंजलि जैन पत्नी विशाल जैन, (5) धनेंद्र कुमार जैन पुत्र सुरेश पाल जैन, (6) नीलम जैन पत्नी धनेंद्र कुमार जैन,** यह सभी निवासी मकान संख्या 142, महावीर नगर, नगर निगम, पीएसः टीपी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002 को, आपके फेडरल प्रोपर्टी पावर – अकाउंट नंबर – 15915600000618 के अंतर्गत, सूचना में अंकित राशि **रु. 43,34,181.72/– (रुपए तैंतालीस लाख चौंतीस हजार एक सौ इक्यासी एवं बहत्तर पैसे मात्र)** की राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का आधिपत्य, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **16 सितंबर 2022** को ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता/ओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों (प्रतिभूति संपत्तियों) के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, आपके प्रोपर्टी पावर – अकाउंट नंबर – 15915600000618 के अंतर्गत, 08.09.2022 के अनुसार **रु. 43,29,197.72/– (रुपए तैंतालीस लाख उनतीस हजार एक सौ सत्तानबे एवं बहत्तर पैसे मात्र)** की एक राशि और इस राशि पर लागतों एवं ब्याज हेतु **दि फेडरल बैंक लि.** के प्रभाराधीन होगा।

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

स्वामित्वधारक आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा संख्या 1883 पर नामित बेनवारी वाटिका, मेरठ में स्थित हैं जिनका समग्र माप 969.876 वर्ग मीटर है जो वहां उन पर विद्यमान तथा/अथवा निर्मित की जानेवाली बिल्डिंग के साथ हैं और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– (115'10") विजय गुप्ता एवं विनीता गुप्ता की संपत्ति, पश्चिम– (130'2") प्रमोद गर्ग एवं प्रवीण गर्ग की संपत्ति, उत्तर– (77'5–1/2") 25 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण– आम सरकारी सड़क

दिनांकः 16.09.2022 **सरफेसी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः मेरठ, उ0प्र0 **(दि फेडरल बैंक लि.)**

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क,
गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013
सीआईएन नं. यू67190एमएच2008पीएलसी187552

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना, निम्न वर्णितानुसार निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्न संदर्भित एक राशि तथा निम्नांकित तिथि से इस राशि पर आकलित ब्याज एवं दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि देते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आधिपत्य की तिथि
TCHHL07160001000064919 & TCHIN07160001000065027	श्री प्रतीक दुबे पुत्र श्री गो. विंद नारायण दुबे (ऋणकर्ता के रूप में) तथा श्री गोविंद नारायण दुबे पुत्र श्री राम दुबे तथा मैसर्स न्यू हिंदुस्तानी एंटरप्राइजेज, अपने स्वामी के माध्यम से (सह–ऋणकर्ता के रूप में)	रु. 16,88,109/– (रुपये सोलह लाख अट्ठासी हजार एक सौ नौ मात्र) की एक राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या टीसीएचएचएल0716000100064919 के अंतर्गत देय एवं भुगतेय है तथा रु. 34,726/– (रुपये चौंतीस हजार सात सौ छब्बीस मात्र) की एक राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या टीसीएचआईएन0716000100065027 के अंतर्गत देय एवं भुगतेय है अर्थात् कुल रु. 17,22,835/– (रुपये सत्रह लाख बाईस हजार आठ सौ पैंतीस मात्र)	13-09-2022

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः आवासीय मकान सं. 814/ए, अधिमापन 1000 वर्ग फुट अर्थात् 92.94 वर्ग मीटर, जो अरजी सं. 206 में समाविष्ट, मौजा बिजोली, वार्ड सं. 15, राजगढ़, तहसील एवं जनपद झांसी (उत्तर प्रदेश) में स्थित और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– बिहारी का भूखंड, पश्चिम– रास्ता 5.79 मीटर, उत्तर– विक्रेता का भूखंड, दक्षिण– श्रीमती कनिज का भूखंड

93359 59 and 94730 81	श्रीमती रजनी पत्नी श्री सतीश प्रकाश (ऋणकर्ता के रूप में) तथा श्री सतीश प्रकाश पुत्र श्री राजा राम (सह–ऋणकर्ता के रूप में)	रु. 10,85,459/– (रुपये दस लाख पिचासी हजार चार सौ उनसठ मात्र) की एक राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 9335959 के अंतर्गत देय एवं भुगतेय है तथा रु. 4,15,500/– (रुपये चार लाख पंद्रह हजार पांच सौ मात्र) की एक राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 9473081 के अंतर्गत देय एवं भुगतेय है अर्थात् कुल रु. 15,00,959/– (रुपये पंद्रह लाख नौ सौ उनसठ मात्र)	13-09-2022

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः आवासीय खुला भूखंड सं. 40ए के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका अधिमापन 80 वर्ग गज अर्थात् 66.88 वर्ग मीटर है, जो खसरा सं. 32 में समाविष्ट, एम. एल. एस्टेट, कौलखा, तहसील एवं जनपद आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है और विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख–सुविधाओं के साथ और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– अन्य की संपत्ति, पश्चिम– भूखंड सं. 40बी, उत्तर– गलियारा एवं निकास 20' चौड़ा, दक्षिण– भूखंड सं. 45

95562 20	स्वर्गीय रमन लाल पिप्पल पुत्र श्री राम बाबू पिप्पल अपने विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से (ऋणकर्ता के रूप में) तथा श्रीमती माया देवी पत्नी स्वर्गीय रमन लाल पिप्पल एवं श्री हेमंत कुमार पुत्र स्वर्गीय रमन लाल पिप्पल (सह–ऋणकर्ता/विधिक उत्तराधिकारी के रूप में) तथा श्री धर्म वीर पुत्र स्वर्गीय रमन लाल पिप्पल और श्री जीतेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय रमन लाल पिप्पल (विधिक उत्तराधिकारी)	रु. 1,02,23,225/– (रुपये एक करोड़ दो लाख तेईस हजार दो सौ पच्चीस मात्र)	12-09-2022

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः आवासीय भूखंड (68'X43') के समस्त वह भाग तथा अंश, अधिमापन 328 वर्ग गज अर्थात् 274.24 वर्ग मीटर, जो खसरा सं. 3870/1 में समाविष्ट और मौजा नराइच, सती नगर के रूप में विदित स्थान, तहसील–इतमादपुर, जनपद–आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं और विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख–सुविधाओं के साथ हैं और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– किताब सिंह का मकान, पश्चिम– सड़क 20', उत्तर– भगवान सिंह का मकान, दक्षिण– गली 05'

10669 117	(स्वर्गीय) जीतेंद्र कुमार बाल्मीक पुत्र श्री शंकर लाल (ऋणकर्ता के रूप में) तथा श्रीमती मीना देवी पत्नी स्वर्गीय जीतेंद्र कुमार बाल्मीक (सह–ऋणकर्ता/विधिक उत्तराधिकारी के रूप में) तथा श्री नितिन पुत्र स्वर्गीय जीतेंद्र कुमार बाल्मीक एवं सुश्री खुशबू पुत्री स्वर्गीय जीतेंद्र कुमार बाल्मीक (विधिक उत्तराधिकारी)	रु. 7,53,937/– (रुपये सात लाख तिरेपन हजार नौ सौ सैंतीस मात्र)	13-09-2022

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः आवासीय भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जो अरजी सं. 466 मिन. में, अधिमापन 968.81 वर्ग फुट अर्थात् 90.04 वर्ग मीटर, ग्राम–भट्टागांव, तहसील एवं जनपद–झांसी (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं और विक्रय विलेख में संवर्णित समस्त साधारण सुख–सुविधाओं के साथ हैं और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– रास्ता 5.80 मीटर, पश्चिम– विक्रेताओं की भूमि, उत्तर– नाला अब अन्य स्वामियों की भूमि, दक्षिण– श्रीमती सोमवती का भूखंड

दिनांकः 17.09.2022 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थानः यूपी **कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

पहचान की अपील

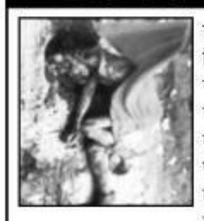

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका **नामः** नामालूम, **पुत्रः** नामालूम, **पताः** नामालूम, **उम्रः** लगभग 30 साल, **लिंगः** पुरूष, **रंगः** गोरा, **कदः** 5 फुट 6 इंच, **चोट का निशानः** पूरा शरीर कुचला हुआ, **पहनावाः** सफेद टी–शर्ट व काली पेंट पहने हुए, जो दिनांक 13.09.2022 को समय रात्रि 7:00 बजे, खादर पुलिया, जे.जे. कालोनी, मदनपुर खादर, नई दिल्ली में मृत अवस्था में पाया गया।

इस संदर्भ में **FIR No. 422/22 u/s 279/337 IPC, दिनांक 13.09.2022,** थाना–कालिंदी कुंज, नई दिल्ली में दर्ज है।

हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस मृतक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

थाना प्रभारी
थाना–कालिंदी कुंज, नई दिल्ली
DP/971/SE/2022(UIDB) **फोन.: 011-29945322, 8750870922**

SHIGAN QUANTUM TECHNOLOGIES LIMITED

CIN No. : U72200DL2008PLC184341
**पंजीकृत कार्यालय : श्याम कुंज, 183–ए, सैनिक फार्म, वेस्टर्न एवेन्यू, नई दिल्ली–110